

भारत सरकार  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 463  
बुधवार, 1 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिजली गिरने की घटनाएं

463. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:  
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:  
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:  
श्री बालक नाथ:  
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:  
श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं;
- (ख) बिजली गिरने से राज्य-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;
- (ग) बिजली गिरने के कारण मृत व्यक्ति के परिवार को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या गुजरात के जनजातीय क्षेत्र सहित देश में वनों की कटाई के कारण बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो बिजली गिरने की घटनाओं को कम करने के लिए वनों की अवैध कटाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क)-(ख) बिजली गिरने तथा मृतकों की संख्या का राज्य वार विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।
- (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के माध्यम से गरज के साथ तूफान तथा उससे सम्बन्धित मौसमी घटनाओं का पूर्वानुमान एवं चेतावनी 5 दिन पहले जारी करता है तथा नियमित रूप से नवीनतम जानकारी प्रदान करता है। प्रभावित परिवारों को प्रदान की जाने वाली सहायता का मामला तदनुसूची राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।
- (घ) जी, हां। हाल के अध्ययनों के अनुसार, भारत में पिछले दो दशकों के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी होने का ट्रेंड देखा गया है। भारत के पूर्वोत्तर, पूर्वी एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पिछले 2 दशकों के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में काफी अधिक वृद्धि देखी गई है। मध्य भारत में यह वृद्धि बहुत मामूली है, तथा

शेष देशभर में मध्यम स्तर की है। वनों की गैरकानूनी कटाई से सम्बन्धित सूचना इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

				अनुलग्नक-1
वर्ष 2018-2020 के दौरान बिजली गिरने के कारण होने वाली दुर्घटनावश मौतों का राज्य-संघ क्षेत्र-वार विवरण				
क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2018	2019	2020
1	आंध्र प्रदेश	74	109	93
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	36	28	14
4	बिहार	177	400	436
5	छत्तीसगढ़	213	212	246
6	गोवा	0	2	0
7	गुजरात	13	64	78
8	हरियाणा	6	11	3
9	हिमाचल प्रदेश	8	1	5
10	झारखंड	235	334	336
11	कर्नाटक	126	99	75
12	केरल	25	15	8
13	मध्य प्रदेश	381	400	429
14	महाराष्ट्र	149	189	182
15	मणिपुर	1	0	0
16	मेघालय	5	7	8
17	मिजोरम	1	1	0
18	नगालैंड	0	0	1
19	ओडिशा	299	271	275

20	पंजाब	4	7	8
21	राजस्थान	43	88	48
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	82	57	64
24	तेलंगाना	68	96	64
25	त्रिपुरा	10	10	5
26	उत्तर प्रदेश	220	321	304
27	उत्तराखण्ड	2	2	10
28	पश्चिम बंगाल	179	147	170
	<b>कुल राज्य</b>	<b>2357</b>	<b>2871</b>	<b>2862</b>

29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0
30	चंडीगढ़	0	2	0
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव @ +	0	1	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0
33	जम्मू एवं कश्मीर @ *	0	1	0
34	लद्दाख @			0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>कुल (समस्त भारत)</b>	<b>2357</b>	<b>2876</b>	<b>2862</b>
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार				
'+' वर्ष 2016-2019 के दौरान पूर्व दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े				
*' वर्ष 2016-2019 के दौरान पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य समेत लद्दाख का आंकड़ा				
'@' नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र का आंकड़ा				

उपर्युक्त आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान किए गए हैं।

\*\*\*\*\*